## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

174 कुंभलगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि –

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (नाम) 127, निमड़ी चौक आगरिया तह. आमेट जिला राजसमन्द (पता) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ग्र्व्ह हैं।

स्थान:- बाल कृष्ण विद्या भवन रा उ मा विद्यालय कांकरोली राजसमन्द

दिनांक: - 03-12-2023

हस्ताक्षर

रिवर्षित अधिकारा (SDM)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 174 कुम्भलगढ़

## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 174 - Kumbhalgarh Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained is section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961,

I declare that -

Shri Surendra Singh Rathore (Name) 127, Nimdi Chouk Aagariya, Teh. Amet, District- Rajsamand (Address) Sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Balkrishan Vidhya Bhavan Govt. Sr.Sec.School Kankroli, Rajsamand

Date: 03-12-2023

Remuning Officer

Assembly Constituency, 174 Kumbhalgarh